सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (PHEMA)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

नीति आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने **सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट** से निपटने के लिये एक नए **सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (PHEMA)** की सिफारिश की है।

- **PHEMA का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर** पर **स्वास्थ्य कैडर** बनाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों को **तत्काल कार्रवाई** करने के लिये सशक्त बनाना है।
  - इसमें महामारी, गैर-संचारी रोग, **आपदाएँ और** जैव-आतंकवाद को शामिल किया जाएगा।
- **प्रमुख अनुशंसाएँ:**
  - **सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) का गठन:** यह **महामारी संबंधी तैयारियों** और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय करेगा तथा इसकी अध्यक्षता **कैबिनेट सचिव** द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है।
  - **स्कोरकार्ड तंत्र का कार्यान्वयन:** एक संरचित स्कोरकार्ड प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में **प्रगति पर नज़र रखेगा** ताकि तैयारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
  - **महामारी तैयारी और आपातकालीन मोचन कोष:** जीनोमिक निगरानी, **वैक्सीन विकास** और साझा बुनियादी अवसंरचना जैसी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिये।
  - **वैश्विक सामंजस्य:** नियामक डेटा की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति को सुगम बनाने के लिये भारतीय नियामक मानदंडों को **वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने का समर्थन।**
  - **क्लिनिकल परीक्षण नेटवर्क का विकास:** विश्व स्तर पर विकसित प्रथाओं तक पहुँच में तेज़ी लाना और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों में भारत की भागीदारी को बढ़ाना।

और पढ़ें: अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/public-health-emergency-management-act-phema-